न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : प्रार्थना पत्र टीआई संख्या / 112 / 2022

1. नाथूराम पुत्र सोन्या जाट उम्र 82 वर्ष, निवासी ग्राम दहमी खुर्द तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. कमला देवी पुत्री गोपीराम पत्नी स्व0 श्री कानाराम उम्र 60 वर्ष, निवासी ग्राम लक्ष्मीनारायणपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3. जगदीश नारायण पुत्र सोन्या, उम्र 65 वर्ष, निवासी ग्राम दहमी खुर्द तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. जीवणराम पुत्र घासीराम, उम्र 52 वर्ष, निवासी ग्राम दहमी खुर्द तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
5. बालूराम पुत्र सोन्या उम्र 86 वर्ष, निवासी ग्राम दहमी खुर्द तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
6. राजेन्द्र पुत्र घासीराम उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम दहमी खुर्द तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
7. रामदयाल पुत्र घासीराम उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम दहमी खुर्द तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
8. रामेश्वरी देवी पुत्री गोपीराम पत्नी श्री रामकुंवार उम्र 55 वर्ष निवासी रेनवाल मांजी तहसील फागी जिला जयपुर।
9. श्योजीराम पुत्र गोपीराम उम्र 54 वर्ष, निवासी ग्राम दहमी खुर्द तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
10. श्रवणलाल पुत्र गोपीराम उम्र 58 वर्ष, निवासी ग्राम दहमी खुर्द तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
11. सायरमल पुत्र घासीराम उम्र 53 वर्ष निवासी ग्राम दहमी खुर्द तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
12. [illegible]देवी पुत्री गोपीराम पत्नी श्री रंगलाल 51 निवासी रेनवाल मांजी, तहसील फागी जिला जयपुर।

सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय

–प्रार्थीगण

बनाम

1. अर्जुन पुत्र रामकरण निवासी ग्राम दहमी खुर्द तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. कजोडमल पुत्र सुवालाल निवासी ग्राम दहमी खुर्द तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3. दामोदर पुत्र सूवालाल निवासी ग्राम दहमी खुर्द तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. रमेश चौधरी पुत्र कल्याण निवासी ग्राम दहमी खुर्द तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:26:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

5. राधाकिशन पुत्र छीतर निवासी ग्राम दहमी खुर्द तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
6. रामनारायण पुत्र सूवालाल निवासी ग्राम दहमी खुर्द तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
7. रामपाल पुत्र गंगाराम निवासी ग्राम दहमी खुर्द तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
8. सुजाराम पुत्र रामकरण निवासी ग्राम दहमी खुर्द तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
9. हनुमान पुत्र रामकरण निवासी ग्राम दहमी खुर्द तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
10. ईश्वरलाल पुत्र भूराराम निवासी ग्राम दहमी खुर्द तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
11. कमलादेवी पत्नि स्व0 सूरजकरण निवासी ग्राम दहमी खुर्द तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
12. प्रभूनारायण पुत्र भूराराम निवासी ग्राम दहमी खुर्द तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
13. बद्रीनारायण पुत्र भूराराम निवासी ग्राम दहमी खुर्द तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
14. भैरू पुत्र कान्हा निवासी ग्राम दहमी खुर्द तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
15. रामकिशन पुत्र भूराराम निवासी ग्राम दहमी खुर्द तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
16. शंकर पुत्र मोहरू निवासी ग्राम दहमी खुर्द तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
17. हनुमान दत्तक पुत्र सूरजकरण निवासी ग्राम दहमी खुर्द तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
18. लाली पत्नी बाबूलाल निवासी ग्राम दहमी खुर्द तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
19. निकिता चौधरी पत्नि प्रेमनारायण निवासी ग्राम दहमी खुर्द तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
20. मदनलाल पुत्र लालाराम निवासी ग्राम दहमी खुर्द तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
22. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार उप तहसील बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक: 01.11.2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र टीआई इस आशय के साथ पेश किया गया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम दहमी खुर्द पटवार हल्का दहमी

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:26:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

कलां भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ठीकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। प्रार्थीगण एवं प्रतिप्रार्थी संख्या 20 के कब्जे अधिकार एवं खातेदारी की भूमि निम्न है :–

खसरा नंबर	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण
516	0.0800	गै.मु.बाडा
517/801	0.0100	बंजड 1
567	0.0500	बंजड 1
568	0.0600	गै.मु.रास्ता
569	0.1300	चाही 3
570	0.2900	चाही 3
571	0.0300	गै.मु.चाह
572	0.0600	चाही 3
573	0.1900	चाही 3
574	0.0900	चाही 3
599/802	0.0100	बंजड 1
676	0.0200	बारानी 3
679	0.4000	चाही 3
680	0.3000	चाही 3
681	0.2500	चाही 3
740	0.3100	चाही 3
741	0.5100	चाही 3
742	0.5600	चाही 3
743	0.4800	चाही 3
747	0.2100	चाही 3 जाव 3
748	0.3700	चाही 3 जाव 3
749	0.3200	चाही 3 जाव 3
750	0.1700	चाही 3 जाव 3
751	1.0200	बारानी 3
752	0.6600	चाही 3 जाव 3
753	0.1400	बारानी 3
754	0.4200	बारानी 3
755	0.4600	बारानी 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:26:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

756	0.4000	बारानी 3
757	0.7100	बारानी 3
कुल खसरे 31	8.9400	

उपरोक्त वर्णित भूमि में शेष अप्रार्थीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 से 9 के कब्जे एवं अधिकार तथा खातेदारी की भूमि निम्न है :—

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण
515	0.0800	गै0मु0बाडा
517/799	0.0200	बंजड 1
520/766	0.0600	बंजड 1
529	0.2400	चाही 1
533	0.4700	चाही 1
540	0.2500	चाही 1
541	0.1100	चाही 1
542	0.4600	चाही 1
545	0.3300	चाही 1
546/806	0.0300	चाही 1
547/807	0.0100	चाही 1
549	0.5000	चाही 1
551	0.1400	चाही 1
553/761	0.0800	चाही 1
554/808	0.0400	चाही 1
557	0.3500	चाही 1
558	0.2000	चाही 1
559	0.0300	चाही 1
563	0.2800	चाही 1
564/767	0.2000	चाही 1
564/809	0.0300	चाही 1
565	0.2100	चाही 1
583/825	0.0200	गै0मु0रास्ता
584	0.2500	चाही 3 जाव 3
585	0.3900	चाही 3 जाव 3

कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:26:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

586	0.3000	चाही 3
587	0.1700	चाही 3
588	0.3100	बंजड 1
589	0.2800	चाही 3
590	0.0400	गै0मु0चाह
591	0.1500	चाही 3 जाव 3
592	0.2100	चाही 3 जाव 3
593	0.0700	गै0मु0रास्ता
599 / 800	0.0200	बंजड 1
684	0.1700	चाही 3 जाव 3
685	0.5600	बंजड 1
726	5.3130	बंजड 1
727	0.2000	चाही 3 जाव 3
728	0.1400	चाही 3 जाव 3
733	1.8400	बारानी 3
734	0.6100	बारानी 3
737	0.1400	चाही 3 जाव 3
कुल खसरे 42	15.3030	

अप्रार्थी संख्या 10 से लेकर 17 के कब्जे खातेदारी एवं अधिकार भूमि निम्न वर्णित सारणी में दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में श्रीमती [illegible] पत्नी स्वर्गीय श्री भूराराम खातेदार के रूप में दर्ज है लेकिन उनकी मृत्यु हो चुकी है इस कारण उन्हें इस वाद पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा उनके सभी उत्तराधिकारीयों को इस वाद पत्र में पक्षकार बना लिया गया है।

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण
216	1.1500	बारानी 3
220	0.2500	चाही 3
221	0.2800	चाही 3
222	0.4600	चाही 3
223	0.0300	गै.मु.चाह
224	0.4100	चाही 3
235	0.4800	चाही 3

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:26:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

518	0.0600	गै.मु.बाडा
519	0.0400	गै.मु.बाडा
575	0.1600	चाही 3
576	0.0800	चाही 3
577	0.6100	चाही 3
578	0.1000	चाही 3
579	0.2200	चाही 3
580	0.2500	चाही 3
581	0.0300	गै.मु.चाह
582	0.3700	चाही 3
583	0.1300	गै.मु.रास्ता
682	0.3900	चाही 3 जाव 3
683	0.1500	चाही 3 जाव 3
729	0.1100	चाही 3 जाव 3
730	0.2000	चाही 3 जाव 3
731	0.2200	बंजड 1
732	0.1200	बंजड 1
735	1.6700	बारानी 3
736	1.0500	चाही 3 जाव 3
738	0.3300	चाही 3 जाव 3
739	0.2900	चाही 3 जाव 3
745	0.0400	चाही 3
746	0.1600	चाही 3 जाव 3
771/819	0.0200	बारानी 3
कुल खसरे	9.8600	

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 20 के संयुक्त कब्जे तथा खातेदारी की भूमि निम्न वर्णित सारणी में दर्ज है।

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण
686	0.8760	बंजड 1
725/1	0.4140	बंजड 1
725/2	0.1600	बंजड 1
कुल खसरे	1.4500	

(मुहर) जयपुर शहर द्वितीय

उपखण्ड कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:26:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण की भूमि में से खसरा नंबर 743, 744, 747, 748, 752 एवं 754 अप्रार्थी संख्या 10 से 17 की खातेदारी की भूमि में से खसरा नंबर 735, 736, 745 एवं 746 की सीमा आपस में मिलती है। अप्रार्थी संख्या 1 से 9 आपस में अप्रार्थी संख्या 10 से 17 के साथ मिले हुए है। तथा दोनो ने आपस में मिलकर प्रार्थीगण पर दबाव बनाकर यह कहते हुए की अप्रार्थीगण की भूमि प्रार्थीगण की भूमि में निकलती है, अनाधिकृत रूप से प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा हो रहे हैं एवं मौके पर निर्माण कार्य चला दिया है। अप्रार्थी संख्या 1 से 9 ने अप्रार्थी संख्या 10 से 17 के साथ मिलकर अप्रार्थी संख्या 1 से 9 की भूमि खसरा नंबर 726 733 734 737 के पूर्व की ओर 15 से 20 फीट बढकर बाउन्ड्रीवाल के लिए नीव खुदाई कर ली है एवं निर्माण करने पर आमादा है। जो कि उनके द्वारा गलत तरीके से निर्माण कार्य किया जा रहा है। उनकी भूमि वर्तमान में खुलवाई जा रही नींव से 15 से 20 फीट पश्चिम की और है। उसके बावजूद भी अनाधिकृत रूप से दोनो ने आपस में मिलकर जानबूझकर गलत दीवार पुख्ता निर्माण करने पर आमादा हो रहे है। अब अप्रार्थी संख्या 10 से 17 के द्वारा अनाधिकृत रूप से प्रार्थीगण की भूमि में 15 से 20 फीट भूमि पर कब्जा करने के इरादे से मौके पर निर्माण कार्य चलाने के लिए आमादा है। प्रार्थीगण की भूमि की पश्चिम सीमा पर 15 से 20 फीट अन्दर अतिक्रमण करने पर आमादा हो रहे है। अप्रार्थीगण की बदनियती इससे भी जाहिर होती है कि अप्रार्थी संख्या 10 से 17 के द्वारा माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय सांगानेर के समक्ष एक सीमा ज्ञान का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें अप्रार्थीगण ने यह जानते हुए भी कि भूमि [illegible] ज्ञान किए जाते समय तथा पत्थरगडी किये जाते समय एवं उसकी [illegible] जाते समय राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज पुख्ता सीमा चिन्हों को आधार मानकर ही की जाती है। इसके बावजूद भी अनाधिकृत रूप से अपने प्रार्थना पत्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 से 9 के द्वारा प्रतिप्रार्थी संख्या 1 से 9 की भूमि की पूर्वी सीमा तथा अप्रार्थी संख्या 10 से 17 की पश्चिमी सीमा पर पुख्ता बाउंड्री वाल निर्मित कर रहे है जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि प्रतिप्रार्थी संख्या 1 ता 17 ने मिलकर प्रतिप्रार्थी संख्या 10 से 17 के पश्चिम दिशा की ओर स्थाई कब्जा करने की नियत से जबरदस्ती नींव भरकर मनमाना सीमा चिन्ह करने पर आमादा है। अप्रार्थी संख्या 10 से 17 को इस बात की जानकारी है कि अप्रार्थी संख्या 1 से 9 के द्वारा जिस बाउण्ड्रीवाल का निर्माण किया जा रही है। वह बाउण्ड्रीवाल उसके द्वारा स्थाई प्रकृति के पुख्ता सीमा चिन्ह खसरा नंबर उत्तर दिशा में 571 दक्षिण दिशा में

खसरा नंबर 6613 ग्राम बगरूकलां पूर्व में खसरा नंबर 460 हरध्यानपुरा एवं पश्चिम खसरा नंबर 702 दहमी खुर्द से के विपरीत बाउंड्रीवाल का निर्माण किया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 से 9 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 10 से 17 की सीमा में बाउंड्री वाल का निर्माण कर रहे है। अब अप्रार्थी संख्या 10 से 17 के द्वारा प्रार्थीगण की भूमि को अपनी होना बताकर अनाधिकृत रूप से जो बाउंड्रीवाल अप्रार्थी संख्या 10 से 17 के द्वारा गलत नाप से बनाई जा रही है उस बाउंड्रीवाल को सीमा चिन्ह होना मानते हुए नाप करवाने पर आमदा है तथा मौके पर आकर झगडा करते है।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 को अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश से मूलवाद के निस्तारण तक पाबंद फरमाया जावे की अप्रार्थी संख्या 1 से 9 की ग्राम दहमी खुर्द पटवार हल्का दहमी कलां भू0अ0नि0 क्षेत्र ठीकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नंबर 726, 733, 734, 737 पर किसी प्रकार की कोई बाउंड्रीवाल या स्थाई प्रकृति का निर्माण तब तक नही करें जब तक कि संयुक्त रूप से उपरोक्त वर्णित चारो खातो की भूमि का पुख्ता सीमा चिन्ह खसरा नंबर उत्तर दिशा में 571 दक्षिण दिशा में खसरा नंबर 6613 ग्राम बगरू कला पूर्व में खसरा नंबर 460 हरध्यानपुरा एवं पश्चिम खसरा नंबर 702 दहमी खुर्द से सीमा ज्ञान नहीं हो जाता है, उक्त कार्य न तो स्वयं करें तथा नहीं जरिए नौकर चाकर प्रतिनिधि रिश्तेदार ठेकादार कर्मचारी पावर ऑफ अटॉर्नी आदि के माध्यम से करावें।

अप्रार्थी संख्या 10 ता 17 को अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश से पाबंद फरमाया जावे की अप्रार्थी संख्या 10 से 17 अनाधिकृत रूप से बिना पुख्ता सीमा चिन्ह खसरा नंबर उत्तर दिशा में 571 दक्षिण दिशा में खसरा नंबर 6613 ग्राम बगरू कला पूर्व में खसरा नंबर 460 हरध्यानपुरा एवं पश्चिम खसरा नंबर 702 दहमी खुर्द से नाप करवाए बिना अपनी खातेदारी की ग्राम दहमी खुर्द पटवार हल्का दहमी कलां भू0अ0नि0 क्षेत्र ठीकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित भूमि के खसरा नंबर 735, 736, 745, 746 के पूर्व ओर प्रार्थीगण की सीमा की ओर किसी प्रकार की कोई बाउंड्रीवाल या स्थाई प्रकृति का निर्माण तब तक नहीं करें जब तक कि संयुक्त रूप से उपरोक्त वर्णित चारों खातों की भूमि का सीमा ज्ञान नहीं हो जाता है, उक्त कार्य न तो स्वयं करें तथा नहीं अपने नौकर, चाकर, प्रतिनिधि, ठेकादार पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर या अन्य किसी व्यक्ति से करावें।

सहायक कलक्टर
शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:26:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र टीआई दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन (रजिस्टर्ड एडी) तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 19 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आयें। अप्रार्थी संख्या 20, 21, 22 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उक्त के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 2, 5, 12 की ओर से जवाब टीआई पेश किया गया। जिसमें अंकित है कि :– अप्रार्थीगण न प्रार्थना पत्र के बिन्दू संख्या 1 को अस्वीकार किया व बिन्दू संख्या 2,4,5,6,7 को स्वीकार किया है व बिन्दू संख्या 3 को प्रार्थी को साक्ष्य के साथ साबित करने हेतु निवेदन किया है। शेष बिन्दूओं के जवाब हेतु अंकित किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 ने अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 726, 733, 734 पर नियमानुसार तहसीलदार के समक्ष सीमाज्ञान करवाये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर उपतहसील के कर्मचारियों द्वारा दिनांक 25.04.2022 को सीमाज्ञान की कार्यवाही की जाकर मौके पर सीमा चिह्न कायम किये गये, तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 ने उप तहसील बगरू के कर्मचारियों द्वारा किये गये सीमाज्ञान के आधार पर मौके पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण किया गया है। प्रार्थीगण की भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 द्वारा कोई निर्माण कार्य नही किया गया है और ना ही किया जा रहा है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त मद में सम्पूर्ण कथन झूंठा वादकारण लेने व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 19 को हैरान परेशान करने की गरज से अंकित किये है। अप्रार्थी संख्या 10 [illegible] 17 द्वारा उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर के समक्ष सीमाज्ञान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया है बल्कि सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढ़ी किये जाने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थना पत्र संख्या 98/2022 जी.सी.एम.एस 2022/232 ... ईश्वरलाल व अन्य बनाम कमला देवी व अन्य पेश किया है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.10.2022 नियत है। यहाँ भी उल्लेखनीय है कि उक्त पत्थरगढी प्रार्थना पत्र में तलबी जरिये समन एवं जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा करवाये जाने के बाद भी प्रार्थी संख्या 1 नाथू पुत्र सोन्या को छोडकर शेष प्रार्थीगण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष उपस्थित नही आये, जबकि उक्त प्रार्थना पत्र में उपखण्ड अधिकारी द्वितीय जयपुर के विचाराधीन पत्थरगढी प्रार्थना पत्र के तथ्यों के बारे में अंकन किया जा रहा है। इस प्रकार प्रार्थीगण ने न्यायालय के समक्ष क्लीनहैण्ड के बिना उक्त वादपत्र एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 ने नियमानुसार स्वयं की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 726, 733, 734, 735,

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:26:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

737 का सीमाज्ञान दिनांक 25.04.2022 को करवाकर बाद कायमी सीमा चिह्नों पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करवाया है।

अतः जवाब अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

शेष अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र टीआई पेश नही करने पर जवाब टीआई का अवसर बंद किया गया।

बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर वकील प्रार्थीगण व वकील अप्रार्थीगण की सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात व मय मूलवाद अवलोकन किया गया। मूलवाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है। मूलवाद का निस्तारण जवाब उपरांत तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य उपरांत गुणावगुण के आधार पर किया जाना है। अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दू पर सर्वप्रथम प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन, व अपूर्णीय क्षति के दृष्टिकोण से विचार करना है। प्रार्थीगण द्वारा मूलवाद व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा यह कहते हुए अंकन किया है कि प्रार्थीगण की भूमि में से खसरा नंबर 743, 744, 747, 748, 752 एवं 754 अप्रार्थी संख्या 10 से 17 की खातेदारी की भूमि में से खसरा नंबर 735, 736, 745 एवं 746 की सीमा आपस में मिलती है। अप्रार्थी संख्या 1 से 9 ने अप्रार्थी संख्या 10 से [illegible] के साथ मिलकर अप्रार्थी संख्या 1 से 9 की भूमि खसरा नंबर 726 [illegible] 737 के पूर्व की ओर 15 से 20 फीट बढ़कर बाउन्ड्रीवाल के लिए नींव [illegible] कर ली है एवं निर्माण करने पर आमादा है। जो कि उनके द्वारा गल[illegible] से निर्माण कार्य किया जा रहा है। उनकी भूमि वर्तमान में खुलवाई [illegible] नींव से 15 से 20 फीट पश्चिम की ओर है। उसके बावजूद भी अनाधिकृत रूप से दोनो ने आपस में मिलकर जानबूझकर गलत दीवार पुख्ता निर्माण करने पर आमादा हो रहे है। अब अप्रार्थी संख्या 10 से 17 के द्वारा अनाधिकृत रूप से प्रार्थीगण की भूमि में 15 से 20 फीट भूमि पर कब्जा करने के इरादे से मौके पर निर्माण कार्य चलाने के लिए आमादा है। और अप्रार्थी संख्या 1 से 9 की खातेदारी के खसरा नंबर 726, 733, 734, 737 तथा अप्रार्थी संख्या 10 से 17 की खातेदारी के खसरा नंबर खसरा नंबर 735, 736, 745, 746 पर उनको मूलवाद के निस्तारण तक पाबंद कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण एवम् अप्रार्थीगण के मध्य मुख्य विवाद सीमाज्ञान को लेकर है। सीमाज्ञान का निस्तारण तहसीलदार द्वारा किया जाना है और तहसीलदार द्वारा सीमाज्ञान की कार्यवाही भी की जा चुकी है

सहायक कलक्टर संख्या 1, अप्रार्थी[illegible] द्वितीय

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:26:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

ऐसे में अगर प्रार्थीगण को तहसीलदार सांगानेर द्वारा की गई सीमाज्ञान कार्यवाही से किसी प्रकार की आपत्ति है तो सक्षम न्यायालय में विधिअनुसार कार्यवाही करें। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण द्वारा जिन खसरा नंबरान पर मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया है वह खसरा नंबर अप्रार्थीगण की खातेदारी के है ऐसे में सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण को न होकर अप्रार्थीगण को होना संभावित है। ऐसे में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं होने से उचित नहीं समझता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01.11.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:26:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner